STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

IN THE MATTER OF: Higher Authority Decision No.

ATTN: दावेदार नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह कारण समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के सामने **(दावेदार के) (नियोक्ता)** के द्वारा **अपील** लेबल संख्या--------के तहत अपील निणार् क द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई अपील पर विचार करने के लिए आया था। रिकार्ड सबूत और समय पर जमा किए गए किसी भी संक्षिप्त या लिखित तर्क की संपूर्णता में समीक्षा की गई है।

रोजगार सुरक्षा विभाग की विवाद("डिवीजन") की अधिनिर्णयन इकाई ने प्रत्येक पक्ष को -----------------पर अधिनिणार् क लेबल संख्या द्वारा निधार्ण की एक प्रति के साथ एक *अपील और सुनवाई : स्तर 1- एक प्रारंभिक निधार्ण पुस्तिका की अपील* भेजी। पुस्तिका के पैनल 6 और 7 ने नियोक्ता को नोटिस दिया कि अल्कोहल और/ नियंत्रित पदार्थ/ या ड्रग परीक्षण के परिणामस्वरूप रोजगार से अलग होने के मामलों सहित कुछ मामलों की विशेष आवश्यकताएं हैं, पुस्तिका कहती है:

नियंत्रित पदार्थ परीक्षा विनियमन अधिनियम (CSERA), N.C. Gen. Stat. 95 §§ 230-235 की आवश् कता है कि परीक्षण अपनी प्रक्रियात्मक आवश् कताओं का अनुपालन करे, जब तक कि परीक्षण का प्रब न अमेरिकी परिवहन विभाग(U.S. Department of Transportation) या

परमाणु नियामक आयोग (Nuclear Regulatory Commission) द्वारा न किया गया हो।एक नियोक्ता को स्थापित करना चाहिए :(1) एक कमर् ारी को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया ;(2) ड्रग परीक्षण के नमूनों की श्रंखला का निगरानी में है;(3) नियंत्रित पदार्थ की विश्वसनीयता; और (4) वास्तव में कमर् ारी ने नियोक्ता की नीति का उल्लंघन कैसे किया? एक सुनवाई में नियंत्रित पदार्थ परीक्षण परिणाम को सिद्ध करने, निगरानी में नमूनों की श्रृंखला और लागू परीक्षण के साथ अनुपालन व कानून द्वारा आवश् क पुन:परीक्षण के लिए प्रयोगशाला प्रतिनिधि की सजीव गवाही के स्थान पर, प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि का हलफनामा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई नियोक्ता CSERA का अनुपालन करता है, नियंत्रित पदार्थ परीक्षण का सकारात्मक परिणाम काम से जुड़ा गैरकानूनी कार्य है। इसी प्रकार से, किसी कर्मचारी द्वारा बिना किसी अच्छे कारण के सर्वमान्य व उचित रूप से लागू ड्रग परीक्षण नीति का अनुपालन करने से इंकार करने से, दुराचरण का गठन होता है।एक नियंत्रित पदार्थ परीक्षण और वैधानिक या विनियामक प्रक्रियात्मक आवश् कताओं का अनुपालन के परिणाम साबित माने जाते हैं, यदि दावेदार सुनवाई के दौरान उनकी प्रतिज्ञाबद्ध रूप से या हलफनामे द्वारा स्वीकार करता है। N.C. Gen. Stat. § 96-14.6 और 04 N.C. Admin. Code 24C .0211 देखें।

नियोक्ता, अपनी अपील में, ऐसे किसी दस्तावेज को उपलब्ध कराता है, जिसे किसी भी गवाही और/या किसी शपथपत्र और मामले पर अपील निणार् क--------------- के समक्ष हुई साक्ष्य सुनवाई के दौरान उचित क्रास परीक्षा के अधीन शामिल नहीं किया गया था। सुनवाई के पहले 04 N.C. Admin. Code 24C .0204 के अनुसार डिवीजन के अपील अनुभाग ने सुनवाई की नोटिस, प्रदर्शन संख्या------------------को अपील निणार् क की फाइल में मौजूद दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सभी पक्षों को------------------पर भेज दी गई। अन्य बातों के अलावा नोटिस यह भी कहती है:

HOW TO GIVE EVIDENCE : शपथबद्ध गवाही आवश्यक है। यदि आप गवाहों की गवाही दिलवाना चाहते है, तो उन्हें सुनवाई में ऐसा करना होगा।यदि आपके पास दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग

या अन्य साक्ष्य हैं, जिन पर आप सुनवाई अधिकारी द्वारा विचार करवाना चाहते हैं, तो आपको उन्ें सुनवाई अधिकारी और प्रत्येक पक्ष के पास भेजना या पहुंचाना होगा। साक्ष्य सुनवाई के पहले पहुंच जाना चाहिए।

235 में से N.C. Gen. Stat. §§ 95-230 और 04 N.C.Admin.Code 24C.0211 के अनुसार नोटिस पक्षों को अल्कोहल और नियंत्रित पदार्थ/ड्रग परीक्षणों से जुड़े पृथक्करण की स्पष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिलाया और कहा:

<u>DRUG AND/OR ALCOHOL-RELATED SEPARATIONS</u>: किसी भी परीक्षण के परिणाम को साबित करने के लिए या खारिज करने के लिए साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य में कार्य के नियम और/या नीतियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। North Carolina में नियंत्रित पदार्थ परीक्षा विनियमन अधिनियम (CSERA), N.C. Gen. Stat. 95 §§ 230-235 की आवश् कता है कि परीक्षण अपनी प्रक्रियात्मक आवश् कताओं का अनुपालन करे, जब तक कि परीक्षण का प्रब न अमेरिकी परिवहन विभाग(U.S. Department of Transportation) या परमाणु नियामक आयोग (Nuclear Regulatory Commission) द्वारा न किया गया हो। प्रतिस्पर्धी दावों की सुनवाई पर नियंत्रित पदार्थ परीक्षण परिणाम को सिद्ध करने, निगरानी में नमूनों की श्रृंखला और लागू परीक्षण के साथ अनुपालन व संघीय या राज्य कानून द्वारा आवश् क पुन:परीक्षण के लिए प्रयोगशाला प्रतिनिधि की सजीव गवाही के स्थान पर, प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि का हलफनामा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। परीक्षण के परिणाम साबित माने जाते हैं, यदि दावेदार सुनवाई के दौरान उनकी प्रतिज्ञाबद्ध रूप से या हलफनामे द्वारा स्वीकार करता है। सुनवाई अधिकारी को सौंपे गए किसी भी दस्तावेज को सुनवाई से पहले अन्य पक्ष को भी प्रदान किया जाना चाहिए।यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो मुख्य अपील निणार् क से संपर्क करें।

यह पूर्वगामी लिखित नोटिस से स्पष्ट है कि नियोक्ता को सभी गवाही और अन्य साक्ष्यों को साक्ष्य सुनवाई में प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने के दायित्व से स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था। नियोक्ता के पास सजीव गवाही सहित सक्षम सबूत उपलब्ध करवाने, प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नियंत्रक पदार्थों के परीक्षण के परिणाम साबित करने के लिए हलफनामा प्राप्त करना, निगरानी की श्रृंखला और कानून द्वारा आवश्यक परीक्षण और पुन:परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन भी का एक कर्तव्य था और इसे कर्तव्यों की नोटिस में

शामिल किया गया था। 04 N.C. Admin. Code 24C .0201 में परिभाषित के अनुसार रिकार्डों की अनुपस्थिति या (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा इन्हें सुनवाई में उपस्थित होने से रोकने का कोई संकेत है। रिकार्डों में इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि नियोक्ता को सभी साक्ष्य या दस्तावेजी प्र ण प्रस्तुत करने से रोका गया या 04 NCAC 24C .0207 के अनुसार सुनवाई को पुनर्निधारित करने की प्रार्थना की जा रही है। "अच्छा कारण" यथोचित परिश्रम के अभ्यास में कानूनी रूप से आवश्यक कार्य को करने में विफल रहने के लिए पयार्त रूप से उचित कानूनी कारण होना चाहिए।N.C. Gen. Stat. § 96-15(d1) और 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(26) देखें।

जहां रिकार्ड में कोई साक्ष्य है जो किसी निष्कर्ष का भौतिक रूप से समर्थन करता है, बोर्ड किसी नियोक्ता को यह साबित करने के लिए कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, एक से अधिक अवसर प्रदान नहीं करता है। इससे अलग करने पर दावेदार की उचित प्रक्रिया के अधिकार पर प्र व पड़ेगा और नियोक्ताओं को अपने बोझ कि बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी को अयोग्य ठहराने के लिए, बार- बार अवसर देगा। Dunlap बनाम Clarke Checks, Inc., 92 N.C.App. 581, 375 S.E.2d 171 (1989) देखें। जैसा कि बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि नियोक्ता को प्रक्रियात्मक कारणों की पूर्ति हुई थी। बोर्ड केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी गवाहों ने सुनवाई में भाग लिया और नियोक्ता ने गवाही या साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के अधिकार को संरक्षित नहीं किया था, के लिए इस मामले को दोबारा नहीं खोल सकता।

Douglas बनाम J.C. PenneyCo., 67 N.C.App. 344, 313 S.E.2d 176 (1984) देखें। देखें। इस मामले में बोर्ड केवल सुनवाई में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के लिए प्रतिबंधित है। Patrick बनाम Cone Mills Corp., 64 N.C. App. 722, 308 S.E.2d 476 (1983) देखें।

बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए प्रतिस्पधार्मक दावों के मामले में अंतिम तक्ष्य खोजक के रूप में, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलीय निणार्कों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्य सक्षम प्रमाणों से समर्थित थे और उन्हे स्वयं के रूप में अपनाना गया था। बोर्ड ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि अपीलीय निणार्कों ने प्राप्त तथ्यों पर रोजगार सुरक्षा कानूनों(N.C. Gen.Stat. §96-1 et seq.) को यथार्थ व सही रूप से लागू किया गया है, जैसा कि पाया गया है, और परिणामस्वरूप निर्णय कानून व तथ्यों के अनुसार था।

अपीलीय निणार्क का निर्णय **(पुष्ट किया गया) (विपरीत) (संशोधित)** है।

दावेदारों को बेरोजगारी बीमा के लाभों के प्रारंभ के लिए **अयोग्य** घोषित किया गया।
अयोग्य नहीं घोषित

किया गया

और

बेरोजगारी बीमा के लाभों

का प्रारंभ प्रापत होगा।
समीक्षा समिति के सदसय Susan Doe और John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस फैसले से सहमत हैं।

यह है:

BOARD OF REVIEW

....

Chairman

NOTE: उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय में इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए निम्नानुसार याचिका दाखिल नहीं की गई हो। मेलिंग की तिथि इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है। <u>हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता है, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय पर अपील करने के लिए संलग्न पुस्तिका देखें</u>। यह पुस्तिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रोजगार कायार्लों और रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट WWW.des.nc.gov पर जाकर *अक्सर पूंछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ)* के अनुभाग पर जा सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

<u>APPEAL RIGHTS FOR JUDICIAL REVIEW</u>

अपीलकतार् वारा उच्च प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ अपील अपने निवास स्थान या अपने मुख्य व्यापार स्थल के क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज की जानी चाहिए। यदि पार्टी North Carolina के किसी प्रांत में निवास नहीं करती या इसका मुख्य व्यापार स्थ यहां के किसी प्रांत में नहीं है, तो अपील North Carolina के Wake County के उच्चतम न्यायालय के लिपिक या उत्तरी कैरोलीना के उस क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज करवायी जाएगी, जहां विवाद उत्पन्न हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल नहीं की गई हो।

उच्चतम न् ायालय के लिपिक के पास दर्ज किसी भी याचिका की प्रतियां रोजगार सुरक्षा ("Division")के विभाग और सभी पक्षों के पास याचिका दाखिल होने के (10) दिनों के भीतर कायर्ाही के लिए भेज दी जानी चाहिए। याचिका की प्रतियां व्यक्तिगत सेवाओं या मेल के जरिए भेजी जानी चाहिए, और वापसी रसीद प्राप्त किए जाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। उच्चतम

न् ायालय की समीक्षा के लिए आवेदित याचिकाओं को विभागीय प्रक्रियाओं के लिए पंजीकृत एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए।

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

NOTE: यदि आपको किसी अन्य पार्टी द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका भेजी गई है, तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए तब तक एक पक्ष नहीं होंगे जब तक कि आप : (1) याचिका प्राप्त होने के (10) दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को सूचित नहीं कर देते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, के नियम 24, में उपलब्धता के अनुसार हस्तक्षेप के लिए एक प्रस्ताव दर्ज करें।

NOTICE TO ALL INTERESTED PARTIES

04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) (एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय-पक्ष की कंमनी से व्यक्तियों को शामिल करते हुए) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील के अंतरगत कार्य करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही के कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का अनुपालन करना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार जब पक्ष का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किए जाने वाले सभी कानून जानकारी या दस्तावेज केवल कानूनी प्रतिनिधि को भेजे जाएंगे। कानूनी परतिनिधि को भेजी गई कोई भी जानकारी उसी बल और परभाव में मानी जाएगी, जैसे कि उसे सीधे पार्टी को भेजा गया हो।

IMPORTANT - SEE FOLLOWING PAGE

Higher Authority Decision No.
पांच पृ ों म से तीसरा

30, जून 2013 या उसके बाद दजर किए गए दावों के लिए दावेदार अपील पर वापस ले लिए गए किसी नयायिक निणरय से परापत लाभों के पुनभुरगतान के अधीन हैं। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

SPECIAL NOTICE TO CLAIMANTS: यदि आप अंतरनिहित दावों <u>के संबंध में</u> पहले से बेरोजगारी बीमा के लाभ परापत कर रहे हैं या पहले से परापत कर चुके हैं और इस उचच पराधिकरण निणरय के नियमानुसार आप इस तरह के सभी लाभों के लिए अयोगय पाए जाते हैं, या इन नियमों को पूरा नहीं करते, आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभों का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि उचच पराधिकरण निणरय से अधिक भुगतान तैयार होने पर आपको विभाग के लाभ समगरता/ लाभ भुगतान नियंतरण अनुभाग से अधिक भुगतान या अतिरिकत भुगतान के निधाररण का एक नोटिस अलग से भेज दिया जाएगा। यह नोटिस आपके ऊपर अधिक भुगतान या अतिरिकत भुगतान के अतिरिकत आप पर लागू होने वाले अनय किसी दंड का भी निधाररण करेगी। कृपया धयान दें कि उपरोकत भुगतान के खिलाफ आप एक ही रासता चुन सकते हैं, जो उचच पराधिकरण निणरय की नयायिक समीक्षा के लिए North Carolina के कानूनों और ऊपर दिए गए तरीके के अनुसार एक याचिका दायर करनी है।

अपनी याचिका में आपको यह निदिषट करना होगा कि कया आप अपील कर रहे हैं: (1) अयोगयता या पातरता के लिए और/या (2) इस परिणामी निधाररण के लिए कि आपको लाभों का अधिक भुगतान परापत हुआ है।

Appeal Filed: Decision Mailed: